

प्रेषण,

श्री स्ल०सुरु गोतम,
स्मृति तीय,
उत्तर प्रदेश शासन।

लेखा मे,
लेटरी,
तेन्द्रल बौड आफ लेटरी स्कूलेन,
2/19, तंत विडार उत्तारी रोड,
दौरियांगंव, नई दिल्ली ।

शिक्षा अनुभाव-17

लहानउः दिनांक 14 फरवरी, 1909

विषय:- लिप्तुंगडेल स्कूल, पीलीभीत को अनापत्ति प्रमाण पा दिए जाने के तंकें

महोप्य,

मुझे यह कहने का निष्क्रिय हुआ है कि लिप्तुंगडेल स्कूल, पीलीभीत को तेन्द्रल बौड आफ सेकेन्डरी स्कूलेन, नई दिल्ली से तम्बद्धता प्रदान किए जाने मे इत राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन इस आपीत्ति नहीं है :-

[क] सामान्य प्रतिबन्ध

- 11) विधालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निष्क्रिय दारा नामित एक लदस्य होगा।
- 12) विधालय मे कम से कम 10 प्रतिवात स्थान ऐकावी और पिछडे सं निर्बल आय कर्ता के बच्चों के लिए सुरक्षात रखेंगे तथा उन्होंने उपर्युक्त माध्यमिक शिक्षा परिषाद/ बोरिल शिक्षा परिषाद दारा संयालित विधालयों मे विभिन्न लक्षाओं के लिए निर्धारित शूलक से अधिक शूलक नहीं लिया जायेगा।
- 13) संस्था को राज्य सरकार दारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 14) संस्था के लभी अध्यापक/ अध्यापिकाएं प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षाण तथा शिक्षाणोत्तर कर्मानियों को राजकीय सहायताप्राप्त शिक्षाण संस्थाओं के कर्मानियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान सवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 15) राज्य सरकार अध्यवा शिक्षा किपाग दारा को भी जादेशा किंवत लिए जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 16) विधालय मे अनुसासन तथा शिक्षा का सार उच्चकोटि ला रखा जायेगा।

३४। किंशुर्प्रतिबन्धा

- १। विषयालय की प्रबन्धा तौमीति रौजस्टर्ड होगी तथा सम्बन्ध सम्बन्ध पर नियमानुवार उत्का नीकरण भी कराया जायेगा ।
- २। विषयालय में प्रत्येक छाँव उपर्याम के लिए उपित्त आकार के छाँव-छाँव, दो वैकील्यक विभाय छाँव, दो प्रयोग्यालाला छाँव तक चार प्रशासीनक छाँव की व्यवस्था भी जायेगी ।
- ३। कर्मधारियों की लेहा-बार्ता बनायी जायेगी और उन्हें सहायताप्राप्त आसासकीय उच्चतर माध्यमिक विषयालयों के कर्मधारियों को उन्मन्य सेपा-नियुक्तिक तार्का उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- ४। विषयालय का लेहा-बोड़ा निर्धारित प्रष्ठाओं/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
2- उक्त शार्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी सम्बन्ध उक्त शार्तों में से किसी भी इर्द का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापूर्त प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

आदीय,

१ स्त०स्त० गौतम ।
संयुक्त सीचिव।

संख्या- 327।।।/15-17-89-तदीदनांक

प्रतिलिपि निम्नांका को सुननार्थ प्रेषित :-

- १- शिक्षा निषेधाक, उप्र०, शिक्षिकार कार्यालय, लखनऊ ।
- २- मण्डलीय उप शिक्षा निषेधाक, बरेली मण्डल, बरेली ।
- ३- प्रबन्धाक, लखनऊ स्कूल, पीलीभीत ।
- ४- जिला विषयालय निरीक्षाक, पीलीभीत ।
- ५- निरीक्षाक, आंग्ल भारतीय विषयालय, उप्र०, लखनऊ ।

आज्ञा है,

१ स्त०स्त० गौतम ।
संयुक्त सीचिव।